The Mediation Bill, 2023

As Passed by Rajya Sabha

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up item No. 19, the Mediation Bill, 2023.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I beg to move:

?That the Bill to promote and facilitate mediation, especially institutional mediation, for resolution of disputes, commercial or otherwise, enforce mediated settlement agreements, provide for a body for registration of mediators, to encourage community mediation and to make online mediation as acceptable and cost effective process and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.?

महोदय, यह मीडिएशन बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है । जैसे भारतीय ज्ञान की परम्परा रही है कि भारतीय पुरातन ज्ञान के अनुसार ग्राम पंचायतें पहले पंच परमेश्वर होते थे और उनका जो फैसला होता था, वह मान्य होता था । लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि यह बिल लाने की क्या जरूरत है । इसमें लीगल बैकग्राउंड या लीगल सपोर्ट नहीं था । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा कि वर्तमान में सिविल प्रोसीजर कोड के सैक्शन 89 के तहत जो मीडिएशन सैंटर्स खुले हुए हैं, उन्हें लीगल सपोर्ट मिले । हम लीगल सपोर्ट देने के लिए, लीगल बैक बोन बनने के लिए मीडिएशन बिल लेकर आए हैं । इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इससे ईज ऑफ लीविंग होगा । जब मुकदमा होता है, तो पैसा भी खर्च होता है और समय भी लगता है तथा दुश्मनी भी दोगुनी हो जाती है । हम चाहते हैं कि पहले ही क्यों नहीं मीडिएशन के माध्यम से ऐसे मामलों को सैटल करें, जिससे कि मुकदमों की जो भरमार है, उसमें भी कमी आए और ईज ऑफ लीविंग भी बढ़े, इसलिए यह बिल सभा के समक्ष लेकर आया हूं ।

महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बिल पर चर्चा हो और बाद में जैसा आपका निर्देश हो, इसे पारित करने की प्रक्रिया हो । धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON (Shri P.V. Midhun Reddy): Motion moved:

?That the Bill to promote and facilitate mediation, especially institutional mediation, for resolution of disputes, commercial or otherwise, enforce mediated settlement agreements, provide for a body for registration of mediators, to encourage community mediation and to make online mediation as acceptable and cost effective process and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.?

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति जी, मीडिएशन बिल, 2023 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जैसा माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि हमारी पुरातन परम्परा है, पुराने जमाने में जब भी गांव में या कहीं भी डिस्प्यूट होते थे, तो उन्हें वहां के लोग आपस में मिलकर, पार्टियों को समझाकर सैटलमेंट करवा देते थे । यह परम्परा बहुत पुरानी है । जैसा मंत्री जी ने बताया कि कानूनी जामा, लीगल फ्रेम वर्क बनाने के लिए यह बिल लाया गया है । इसे कानूनी जामा पहनाने की प्रक्रिया वर्ष 1999 से शुरू हुई, जबकि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंड 1990 के द्वारा सैक्शन 89 में अमेंडमेंड किया गया, और उसके बाद 1 जुलाई, 2002 से उस अमेंडमेंड के हिसाब से मीडिएशन शुरू हुआ । इसे आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी जस्टिस आर.सी. लहोटी जी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, उन्होंने मीडिएशन एंड कांसीलेशन प्रोजेक्ट कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की अनुशंसा पर एक पायलेट प्रोजेक्ट ऑन मीडिएशन दिल्ली में अगस्त, 2005 में इनीशिएटेड किया गया । उस समय उसमें केवल जजों के द्वारा ही मेडिएशन शुरू हुआ । जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्हें 40-40 घंटे की ट्रेनिंग दी गयी कि वे अपने चैम्बर में मेडिएशन शुरू करें । अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसके जो पक्षकार हैं, उन्हें कोर्ट की सुनवाई करके नहीं, बल्कि अपने चैम्बर में बुलाकर इसके आधार पर कुछ कर सकें । इस तरह यह प्रोसीजर शुरू हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे यह आगे बढ़ता गया ।

पहले काफी दिक्कतें थीं कि अगर कोई निर्णय हो गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है । कितने समय में निर्णय होगा, निर्णय करने वाले कौन हैं, उनका क्या रजिस्ट्रेशन है, उनकी क्या योग्यता है, इन सबको देखने के हिसाब से यह बिल लाया गया । यह एक सकारात्मक पहल है क्योंकि आज कोर्ट के ऊपर केसेज का भार बहुत बढ़ गया है । ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, जिन्हें आपस में बैठ कर सुलझा सकते हैं । इसमें कोर्ट का समय भी बर्बाद न हो और दोनों डिस्प्यूटेड पक्षों का धन भी बर्बाद न हो और उन्हें सही समय पर सही निर्णय भी मिल जाए, सही सलाह भी मिल जाए, इस हिसाब से मेडिएशन हो । पर, इसमें कुछ प्रतिबंध किया गया कि काम की लिस्ट फर्स्ट शिड्यूल में दी गयी है कि ये डिस्प्यूट मेडिएशन के द्वारा सॉल्व नहीं हो सकते, जैसे कोई आपराधिक मामला हो, जिसमें कोर्ट के नियमों के हिसाब से फैसला हो । इसके अलावा, जिन-जिन एक्ट में डिस्प्यूट के सॉल्यूशन का प्रावधान है, तो इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा गया कि मेडिएशन एक्ट को लागू कर सकते हैं । इसमें आपसी समझ से, किसी समझदार व्यक्ति को बिठाकर वे अपना डिस्प्यूट सेटल कर सकें ।

इसको शुरुआत इस बिल के द्वारा होगी क्योंकि उसको कानूनी जामा पहनाया गया है । अगर उनका मेडिएशन एग्रीमेंट होगा, तो पहले यह स्थिति है कि आपस में मिल लिए, लिखित में भी तय हो गया, लेकिन मान लीजिए कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई पक्ष मना कर देता था, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं था । इसी चीज को रोकने के लिए मेडिएशन एग्रीमेंट की शुरुआत हुई और मेडिएशन एग्रीमेंट बन गए । उस मेडिएशन एग्रीमेंट के आधार पर जैसे ही यह हो गया कि उस एग्रीमेंट पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर हो गए और अगर उसके बाद कोई पक्ष उससे पलट जाता है या उल्टी बात करता है या उस एग्रीमेंट को नहीं मानता है तो उसमें फिर सिविल प्रोसीजर के सेक्शन के हिसाब से दूसरे पक्ष कार्रवाई कर सकते हैं । यह एक बहुत बड़ा प्रावधान है । इसको कानूनी जामा मिल गया । अब यह एक तरह से कानून बन गया । अब अगर कोई इसमें डिफॉल्ट करता है तो उस पर कोर्ट में केस चलेगा । इसके लिए पूरी सावधानियां रखी गयीं । अगर कोई मेडिएशन एग्रीमेंट बना और वह किसी गलती से, किसी फ्रॉड से या किसी चीज से प्रभावित होकर बना तो वह रद्द भी हो सकता है । उसमें भी कुछ नियम हैं । ये नियम विस्तार से इस बिल में लाए गए हैं । इसके अलावा, इसमें एक टाइम लिमिट भी दी हुई है । अगर किसी मेडिएशन की शुरुआत होती है तो उसे 180 दिनों के भीतर पूरा करना होता है । अगर वह 180 दिनों में पूरी नहीं होती है तो उसके बाद अगर दोनों पक्षकार कहें कि इसे और 180 दिनों के लिए बढ़ाया जाए तो वह और 180 दिनों के लिए बढ़ सकता है । यह एक अच्छा प्रावधान है । इसमें सबसे ज्यादा फायदा ?ईज़-ऑफ-डूइंग-बिजनेस? में है । जो झगड़े होते हैं, कभी लेन-देन के झगड़े होते हैं तो मेडिएशन के द्वारा आराम से, बिना किसी दिक्कत के इसे सुलझा सकते हैं । इन सारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक मेडिएशन परिषद् बनाई गयी है । इसमें प्रावधान है कि वह मेडिएशन परिषद् यह तय करेगी कि इनके क्या नियम होंगे, मेडिएटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ग्रेड होंगे, किस लेवल के मेडिएटर इस काम को कर सकते हैं । इंस्टीट्यूश्नल मेडिएशन के लिए और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी इन्हें मान्यता देने का काम परिषद् करेगी, जो सरकार द्वारा बनाई जा रही है । इस बिल में इसका प्रावधान है ।

17.00 hrs

सभापित महोदय, सबसे अहम बात है कि अगर किसी को दिक्कत हुई और उसने कहा कि मीडिएशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इसमें दिक्कत है तब केवल 4 पॉइंट के आधार पर ही वह उस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर सकता है, अदरवाइज़ उसको वह एग्रीमेंट मानना पड़ेगा । यह उसके ऊपर कानूनी रूप से बाध्य है । ऐसी बढ़िया व्यवस्था इसके माध्यम से हो रही है । इसके अलावा जो प्रावधान है और जो परिषद् है, आज-कल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मीडिएशन

का काम चल रहा है । भारत इसका हब बने, इसके हिसाब से जो काउंसेल बनाई गई है, वह भी इसमें सहयोग करेगी और उनको गाइड करना है, नियम वगैरह बनाने के लिए । इसी आधार पर यह सरकार का एक सकारात्मक कदम है । यह इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है । ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस के लिए बहुत अच्छा है । मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

धन्यवाद ।

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Mediation Bill, 2021.

Being familiar with the Indian Judiciary System, we are cognizant of the fact that it takes so much time to resolve cases. The number of cases pending in Indian courts has only climbed over the previous decade. As of August, 2023, a total of 4.44 crore cases are pending in the courts of our country with an average case lasting 13 years. In such cases, Alternative Dispute Resolution Procedures such as mediation come into play.

The Mediation Bill, 2021, will be a standalone legislation on mediation although few mediation-related provisions are mentioned in the Code of Civil Procedure, 1908, the Arbitration and Conciliation Act, 1996, the Companies Act, 2013, the Commercial Courts Act, 2015, and the Consumer Protection Act, 2019.

This Bill is a welcome legislation and I would like to highlight some of its aspects. There are some positives of the Bill. It addresses some legal loopholes. The Bill makes successful attempt to alleviate the workload of the Indian Judiciary System. It addresses the gap in the existing legal framework by encouraging private, online, and community mediation as acceptable practises, enforcing a successful medium of mediation in the form of ?Mediation Settlement Agreements?, and so on. It provides a uniform procedure to be followed for mediation in the country.

As far as domestic legislation on Singapore Convention is concerned, India is a signatory to the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, also known as the Singapore Convention on Mediation. This smoothens the enforcement of International Mediation Settlement Agreements amongst

the signatory nations. This Bill includes the domestic measures required for the Convention?s international mediation settlements to be enforced. India has progressed from being an observer in foreign affairs to a frontrunner and pioneer by enacting domestic laws to implement the Singapore Convention.

It also strengthens India?s Alternate Dispute Resolution Mechanism. Between 2016 to 2022, there was a 16 per cent increase in the strength of judiciary as compared to 54.6 per cent increase in pendency of cases.

On an average, there is just one Judge for 73,000 people in India. There is a shortage of Judges to decide cases. In the High Courts, 42 per cent of the total sanctioned posts for Judges are vacant and 41 per cent of the cases have been pending for the last five years. A total of almost 50 lakh cases have been pending before the Subordinate Courts and High Courts. Therefore, an alternate dispute resolution mechanism such as mediation has become an important tool in increasing the access to justice by providing redressal and settlement of disputes.

Mandating pre-litigation mediation would require availability of sufficient trained mediators. Establishing of more training centres and institutes for mediation would definitely lead to a rise in the employment rate in both skilled and unskilled employment. Therefore, I request the hon. Minister to make similar provisions in the Mediation Bill, distinguishing domestic and foreign residents of India, which would ultimately fulfil the objective of this Bill.

Not only this, mandatory pre-litigation would also require the availability of sufficiently trained mediators. NITI Aayog, in 2021, noted that a framework for mandatory pre-litigation mediation in India must be planned, keeping in mind the number of mediators available and the ecosystem?s ability to provide a large number of mediators. Hence, it is recommended that mandatory pre-litigation mediation be carried out in a phased manner ? first for certain categories of disputes and then, eventually, for a wide range of disputes. Expansion in the classes of such disputes would also see a corresponding increase in capacity, in terms of mediation and ADR centres.

Now, I come to the issue of community mediation. The Bill provides to establish ?community mediation? to ensure peace and harmony among the people or the families in a community, at local level. This move is appreciated. However, such community mediation may prove to be diametrically opposed to individual rights in general and women?s rights in particular. Community mediation may meet the same criticism as informal associations have met in the past.

In circumstances where an Indian party is involved in mediation outside India, the issue of enforcing settlement agreements emerges. The Bill states that mediated settlement agreements shall be enforceable in the same manner as a court?s judgment or decree. In this particular regard, the Bill is not in accordance with the Singapore Convention on Mediation as it allows international mediation agreements to be enforced in other nations.

In conclusion, I would say that for India, the Mediation Bill, 2021 came in the right direction, following the footsteps of the Convention. It would improve India?s Ease of Doing Business credentials by allowing for quick mediated resolutions of corporate conflicts. It would also boost confidence expressed through India?s commitment to following international practice in Alternative Dispute Resolution. However, all of this would only be fully realised if the shortcomings of the Bill are taken care of. Hence, I hope, the Minister addresses the issues raised and also provide reasonable solutions. Thank you.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति जी, आपने मुझे मीडिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । कोरोना महामारी के पहले अदालतों में बहुत बड़ी संख्या में केस पेंडिंग थे । कोरोना के बाद केस बड़ी संख्या में बढ़े हैं । डिस्ट्रि क्ट कोर्ट्स में तीन स्टेजेज़ पर करोड़ों केस पेंडिंग हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लाखों केस पेंडिंग हैं । मीडिएशन का यह बिल लाना बहुत जरूरी था । मीडिएशन व्यावहारिकता में पहले भी था । कोर्ट में जो केस हियरिंग पर आता था, उसे मीडिएशन के लिए भेज देते थे । मीडिएशन के बाद उसकी रिपोर्ट बनकर कोर्ट में आती थी । पहले उसमें कोई बाध्यता नहीं थी । दो-चार महीने का प्रोसेस कंप्लीट होने के अगर कोई हटना चाहे, तो फिर बैक टू स्क्वायर वन पर आकर खड़े हो जाते थे । इस बिल के बाद अगर किसी कोर्ट में रिपोर्ट जाती है और 6-7 साल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलने के बाद जिस जगह पहुंचती है, मीडिएशन का एग्रीमेंट साइन होने के बाद केस सीधा वहां पहुंच जाएगा । इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी । करोड़ों की संख्या में कोर्ट केसेज़ की जो पेंडेंसी है, उसको कम करने के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी । यह बहुत बढ़िया बात है । इसमें कम्पीटीटेंट अथॉरिटीज़ मीडिएशन करने के लिए डिप्यूट होंगी । इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि हमारे देश के सिस्टम में वे तेजी से आगे बढ़ें । इंटरनेशनल लेवल पर मीडिएशन को मंत्री जी तराशें और देखें कि इसमें और क्या कर सकते हैं । आज देश की विदेशों में साख बढ़ रही है और इकोनॉमी आगे बढ़ रही है । मीडिएशन बिल पर भी पूरे वर्ल्ड के लोग अट्रैक्ट हों, वे इंडिया में आएं और मीडिएशन के केसेज़ यहां पर करायें । इससे कहीं न कहीं हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी और हमारे देश की साख भी बढ़ेगी ।

में मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं । इसमें आपका और हमारा बाढ़ेया साथ है । जो डीओपीटी, लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें मेरी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है । सम्भावना यह है कि इसमें दो चीजें छूट सकती हैं । इस प्रोसेस में हम आगे जाएंगे और बहुत ज्यादा हाई टेक्निक, ई-सिस्टम, इंटरनेट की मदद लेकर करेंगे तो गांव, देहात के जो लोग हैं, वे इसमें छूट सकते हैं । मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि कांस्टीट्यूएट असेम्बली के बाद देश का पहला कानून मंत्री जिस समाज से लिया, यह सरकार भी लॉ मिनिस्टर को उसी समाज से लेकर आई है । आपके समाज के लोग और हमारे पिछड़े समाज के लोग जहां रहते हैं, वहां पर इंटरनेट नहीं है । वे कहीं न कहीं सरकार की इस सुविधा से महरूम न रह जाएं, तो इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए ।

दूसरा, जो हमारा ग्राम पंचायत स्तर है, उस स्तर पर ज्यादा शक्तियां दी जाएं । तहसील स्तर पर कुछ शक्तियां दी जाएं और जिला स्तर पर कुछ शक्तियां दी जाएं, जिससे जिला स्तर पर फिल्टर होकर सब चीज आ जाए । जिला स्तर पर आकर एग्रीमेंट बने तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएं, जिससे केस जल्दी से जल्दी खत्म हों । डीओपीटी, लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी ने स्टेट्स के ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेज़, इवेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बाकी जजेज़ से मुलाकातें की हैं, बातें की हैं । इसमें कन्वर्सेशन हुआ है कि पेंडेंसी को कैसे कम करें । कहीं बिल्डिंग्स की कमी है, कहीं जजेज़ की कमी है, कहीं स्टाफ की कमी है । ये इससे ही संबंधित हैं । कोरोना महामारी के बाद की जो पेंडेंसी है, उनकी तरफ भी सोचें । पूरे देश में कई जगह सीट्स खाली पड़ी हैं । जो जजेज़ अपनी ड्यूटी पर हैं, कहीं उनके रहने की दिक्कत है, कहीं उनके ऑफिस की दिक्कत है । उन दिक्कतों को भी दूर करें । जिससे हमारी पेन्डेन्सी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, जैसे देश कोरोना महामारी के कार्यकाल से पहले चल रहा था । कोर्ट केसेज की जो पेन्डेन्सीज हैं, उससे संबंधित पहले की तरह कोर्ट चल सकें, केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए । जो लोग लड़ाई झगड़े में कोर्ट में फंसे हुए हैं, मिडिएशन के बहाने से बहुत सारे लोग जल्दी से निकल कर अपने काम पर लगेंगे, अपने बिजनेस में तरक्की करेंगे, जिले में तरक्की करेंगे, प्रदेश में तरक्की करेंगे और देश में तरक्की करेंगे और इससे देश भी तरक्की करेगा । देश तरक्की करेगा तो वर्ल्ड में इस देश का मुकाम बनेगा और हम पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदय, भारत सरकार के कानून मंत्री समझौते का कानून लेकर आए हैं । यह हमारे प्रधानमंत्री जी के भविष्य के प्रति भारत की दूरदृष्टि है । संविधान सभा में इस बात की कल्पना की गई थी कि जो कानून बन रहे हैं, उस कानून को विशेष तौर पर एक अलग दृष्टि से देखा जाना चाहिए । मैं गांव से आता हूं, गांव की एक बहुत बड़ी आबादी जमीन और पशु के विवाद में तहसील से लेकर जनपद, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मुकदमों में फंसी हुई है ।

कुछ लोग मुकदमा लड़ना और लड़ाना भी एक सिम्बल समझते हैं । पहले भी अपने गांव में न्याय पंचायत की एक व्यवस्था होती थी । न्याय पंचायत में एक सरपंच होता था, सरपंच चुना जाता था । ?(व्यवधान) न्याय पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव होता था, वह एक अलग विवाद का कारण बन जाता था । सरपंच सजा भी सुनाता था । मेरी समझ से कानून मंत्री जी उस पर जरूर विचार किए होंगे । सरपंच वाली व्यवस्था पूरे देश में किस तरह से लागू है, कहां लागू है और कहां लागू नहीं है?

आजादी के बाद बापू से लोगों ने पूछा कि गांधी जी, आजाद भारत कैसा होगा? उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज होगा । ग्राम स्वराज में विवाद के जो विषय होंगे उनका समाधान गांव के स्तर पर किया जाएगा । मैं लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के गांव से आता हूं । जय प्रकाश नारायण जी और बिनोव भावे जी ने गांव-गांव में मुकदमों के समाधान के लिए अभियान चलाया था और सरकार से भी निवेदन किया था कि समझौता के लिए एक वैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए । उस व्यवस्था को मेरे समझ से उस समय की सरकार ने नहीं माना ।

मैं कानून मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जितने मुकदमे गांव-तहसील में चलते हैं, जिला न्यायालय में चलते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं । मेरे समझ से इस कानून में एक प्रावधान लागू कर दीजिए कि मुकदमों को वापस लेकर समझौते के इस न्यायालय में उस मुकदमे का समझौता करा देंगे तो यह बहुत बड़ा काम हो जाएगा ।

अगर भविष्य के लिए कानून बनेंगे और बीते हुए मुकदमें चलते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि और भी समस्याएं खड़ी होती रहेंगी । इस कानून में अगर यह सब प्रावधान हो जाए कि जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली कोर्ट तक चलते हैं उसे वापस मंगाकर हम कैसे समझौता करा सकते हैं । उसकी कानूनी मान्यता इस समझौते के कानून में देने जा रहे हैं तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा काम होगा । ग्राम स्वराज का सपना भी तभी साकार होगा । उधर के लोग चले गए, उनको तो ग्राम स्वराज से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो अपना स्वराज चाहिए कि यहां की कुर्सी कैसे मिले? पेटबथी भोजपुरी में कहा जाता है, वही पेटबथी उन लोगों को है । हमारे महेन्द्र बाबा पेटबथी बूझते हैं । ?(व्यवधान) इन लोगों को पेटबथी की दवा दे दीजिए । स्वास्थ्य मंत्री जी, न्याय मंत्री जी, पेरासिटामोल बंटवा दें ताकि उनकी पेटबथी दूर हो जाए । ये लोग ग्राम स्वराज को जानते ही नहीं हैं तो ग्राम स्वराज कैसे आएगा? अब ?आत्मनिर्भर भारत? बनाने का सपना, लोकनायक जय प्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाने का सपना, गांधी जी के सपनों का भारत बनाने का सपना और विनोबा जी के सपनों का भारत बनाने का सपना साकार हो

रहा है । मैं समझता हूं कि न्याय मंत्री जी उन्हीं सपनों को साकार करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी ?आत्मनिर्भर भारत? बना रहे हैं, यह ग्राम स्वराज के सपने को साकार करता है । हमें देखना चाहिए कि न्याय पंचायत पूरे देश में कैसे काम करे ताकि वे मुकदमे, जो अभी छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट में हैं, गांव, जमीन, पशुओं, आपसी विवाद, गलियों आदि के झगड़े हैं, उन मुकदमों को वापिस ग्रामीण न्यायालय में लाकर समझौता कराया जा सके ।

मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि समझौता कराने के लिए समय का ध्यान रखा जाए और देखा जाए कि ये कितने समय तक चलेंगे । अगर अनंत काल तक चलेंगे तो समझौता बिगड़ता जाएगा इसलिए समय का ध्यान रहना चाहिए । इसे कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके । समाज के हर वर्ग के लोगों की अलग-अलग प्रकार की समस्याएं हैं । मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि किसानों की समस्याएं छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती हैं । मैं किसानों की समस्याओं के बारे में जानता हूं इसलिए कहता हूं कि पशु, खेत, जमीन, गली, सड़क, आवास की समस्याओं का समाधान होना चाहिए । मैं समझता हूं कि इनके कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हो रही है । इस कानून के बनने से ही ?आत्मनिर्भर भारत? बनाने का सपना साकार होगा । कानून मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ग्राम स्वराज का सपना साकार कर रहे हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी, गांधी जी, विनोबा भावे जी के सपनों का भारत बना रहे हैं और आप उसे एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सभापति जी, मीडिएशन बिल पर चार माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं । सुभाष बहेड़िया जी ने चर्चा की शुरूआत की फिर एन. रेड्डप्प जी ने अपनी बात रखी । मलूक नागर साहब जी ने गांव और गरीबों का लाभ इस बिल से कैसे हो, इस पर अपने विचार रखे । वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि गांव में मुकदमों की भरमार में कमी कैसे लाई जाए । चर्चा के दौरान इस तरह के सुझाव आए हैं ।

मैंने पहले भी कहा कि भारतीय इतिहास में बहुत पुराने समय से मध्यस्थता के माध्यम के प्रसंग आए हैं । अगर मैं रामायण काल की बात करूं तो अंगद जी भी मध्यस्थता के लिए लंका गए थे और शांति प्रस्ताव भी रखा था जिसे रावण ने नहीं माना और वह विनाश को प्राप्त हुआ । ऐसा नहीं है कि हमारे लिए मध्यस्था का कन्सेप्ट नया है । जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं तो वे समझते हैं कि मीडिएशन लॉ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में मीडिएशन लॉ तो हमारी रगों में है, हमारे खून में है । अगर हम महाभारत काल की बात करें तो श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, वह मीडिएटर ही तो थे । पांच गांव ही मांगे थे, लेकिन सुई की नोक जितना भी नहीं देंगे, इस बात पर महाभारत का झगड़ा हुआ । मीडिएशन और मीडिएटर हमारी

भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारी सभ्यता-संस्कृति में रचे-बसे हैं । हम उनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मीडिएशन बिल लाने के लिए किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया, जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि वह गांवों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, गरीबों की समस्या का भी समाधान करना चाहते हैं ।

महोदय, कभी-कभी हम मीडिएशन के माध्यम से विपक्ष को भी समझाते हैं कि ऐसा कर लें । ये मान भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये मध्यस्थता से गायब हो जाते हैं । मध्यस्थता जीवन का सार भी है, इसलिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने सोचा कि यह जो काल-खंड है, वह काफी महत्वपूर्ण है । आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमने विश्लेषण किया कि यह देश कैसे चला, कहां तक चला? इसका विश्लेषण करना हमारा काम है, लेकिन वर्ष 2047 तक विकसित भारत बने, इसके लिए क्या-क्या कदम उठाने हैं, हमारे क्या-क्या रोडमैप होने चाहिए, मीडिएशन भी उसी रोडमैप का हिस्सा है, क्योंकि भारत को विकसित भारत बनाना है ।

महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसका जिक्र वीरेंद्र सिंह जी कर रहे थे, उसमें भी हमारे संविधान निर्माताओं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सच्चिदानन्द जी, राजेन्द्र प्रसाद जी तथा अन्य ने लिखा- ?सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय?, तो फिर इतने मुकदमे क्यों? न्याय कैसे जल्दी सुलभ हो, यह विषय भारतीय ज्ञान की परंपरा के अनुसार प्रस्तावना में डाल दिया कि हमें आगे आने वाले समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की ओर बढ़ना होगा ।

महोदय, मैं मुकदमों की बात कर रहा हूं, जिनके संबंध में जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत-से मुकदमे पेंडिंग हो गए हैं । अगर मैं डेटा दूं, तो सुप्रीम कोर्ट में करीब 69,766 मुकदमे, यानी 70 हजार मुकदमे पेंडिंग हैं । अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं, तो उसमें 60 लाख 63 हजार मुकदमे पेंडिंग हैं । अगर मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करूं, तो 4 करोड़ 43 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं । अत: मुकदमों की भरमार है । हम कैसे इनको कम करें, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है । इसका एक माध्यम ए.डी.आर. है । ए.डी.आर. यानी Alternate dispute resolution mechanism. इसमें आर्बिट्रेशन भी आता है, मीडिएशन भी आता है और कन्सीलिएशन भी आता है । आज मैं आपके समक्ष मीडिएशन का बिल लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से लंबित मुकदमों की भरमार भी कम होगी और आने वाले समय में जब इसको लीगल बैकग्राउंड मिलेगा, लीगल बैकबोन मिलेगा, तो लोग मीडिएशन की ओर आकर्षित भी होंगे । अत: हमें मीडिएटर भी चाहिए ।

महोदय, अभी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि कौन इसको करेगा? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अभी कोई काम नहीं हो रहा है । काम हो रहा है, लेकिन गति बहुत धीमी है

। अगर मैं इसके इतिहास में जाऊं, जिसका जिक्र सुभाष जी कर रहे थे, तो आर. सी. लाहोटी नामक एक कमेटी बनी थी और वर्ष 2005 में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वह आगे तेजी से नहीं बढ़ पाया । उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में Mediation and Conciliation Project Committee भी आई, फिर भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा । उसके बाद सरकार को एक पत्र भी लिखा गया । तत्पश्चात मोदी जी के पीरियड में एक बिल हमने बनाया और उसे राज्य सभा में इंट्रोड्यूज किया । राज्य सभा में इंट्रोड्यूज करने पर वहां यह विषय उठा कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसको कमेटी में जाना चाहिए । अत: हमने उसे कमेटी में भेज दिया । कमेटी के चेयरमैन राज्य सभा के माननीय सदस्य, श्री सुशील मोदी जी थे । कमेटी ने बहुत विस्तार में अपने सुझाव दिए । करीब 52 सुझाव कमेटी ने दिए । मैं कमेटी के चेयरमैन और सभी सदस्यों को इस अवसर पर बधाई देता हूं कि बहुत ही अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं । मलूक नागर साहब, हमने 27 सुझावों को छोड़कर बाकी सभी सुझाव या तो मान लिए हैं या फिर ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आए हैं । अत: हमने इसको बहुत अच्छा बिल बनाने का प्रयास किया है । मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं । जैसा कि वीरेंद्र सिंह जी हमारी न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली के बारे में कह रहे थे, जो बिल्कुल ठीक थी । जब ब्रिटिशर्स आए, तब उन्होंने इसको समाप्त किया । आईपीसी, सीआरपीसी के बारे में जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मुकदमा लड़ रहा है, तो बड़ा आदमी होगा । ऐसे स्टेटस सिंबल के माध्यम से जब एडवर्सियल लिटिगेशन शुरू हुआ, तो हमारी पुरातन मध्यस्थता प्रणाली समाप्त हो गयी । उसके बाद, लोग मुकदमों की ओर बढ़ गए । छोटे-छोटे विवाद, नाली का विवाद भी कोर्ट तक जा रहा है । भाई-भाई भी लड़ रहे हैं । गन्ना तोड़ने का विवाद भी बहुत आगे तक जा रहा है । प्रधान मंत्री जी ने सोचा कि इस पर कोई काम होना चाहिए । इस पर काम हुआ । जब हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया तो इस पर एम. आर. कृष्णामूर्ति बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है । उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम बनाने की सख्त जरुरत है । इसका वह जिक्र करते हैं । फिर, के. श्रीनिवासन राव बनाम डी.ए. दीपा केस में भी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसके बारे में हमारे पूर्व के एमओएस लॉ एंड जस्टिस बघेल साहब कह रहे थे । सुप्रीम कोर्ट इसी के बारे में कह रहे हैं । वैवाहिक विवादों का 10-15 परसेंट मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से निबटारा हो जाता है । कोर्ट ने कहा कि मुकदमें पूर्व की मध्यस्थता का विचार जोर पकड़ रहा है । दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में कई वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाता है । पूर्व मध्यस्थता केंद्रों की सफलता दर अच्छी है और सुझाव दिया कि यदि मध्यस्थता केंद्र फ्री लिटिगेशन डेस्क स्थापित करें और पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें तो वैवाहिक विवादों का निपटारा जल्दी किया जा सकता है । यह सुप्रीम कोर्ट ने भी

बोला है । इसका मतलब है कि परिवार में विवाद है । लोग हैपीनेस के लिए शादी करते हैं और शादी के बाद हैपी नहीं रहते हैं, इसका कारण ढूंढना पड़ेगा । इसे समाज को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम हैपीनेस के लिए ही शादी करते हैं । फिर, शादी के बाद हैपी क्यों नहीं रहते हैं? हैपी रहने की भारतीय परंपरा है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब तक जो गति थी, उसकी स्पीड बहुत धीमी थी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कालखंड की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है । ऐसा नहीं था कि योजनाएं नहीं थीं । योजनाएं थीं, लेकिन उन्होंने उसकी स्पीड और स्केल बढ़ाया । अगर आप इसे मध्यस्थता में भी देखेंगे तो अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के दौरान 52,968 मामले निबटाए गए हैं । अभी पाँच करोड़ मामले पेंडिंग हैं और कई छोटे-छोटे मामले पेंडिंग हैं । आप जो कह रहे हैं, वह सुझाव हमने ले लिया है । ऐसे कई पुराने मामले मेडिएटर के पास आएंगे । दोनों पार्टियों के एग्री होने पर मामला निबट जाएगा । जो मुकदमें लंबे चल रहे हैं, उनकी संख्या में भी कमी आएगी । यह जो प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं । हम जो मिडिएशन वाली बिल लेकर आ रहे हैं, वह एक लचीली और अनौपचारिक प्रकिया है । यह एक वॉलेंटरी प्रोसेस है । इसको हमने मेनडेटरी नहीं किया है । पहले हमने मेनडेटरी किया था । जब बिल कमेटी के पास गया तो कमेटी ने कहा कि हमने इसके स्टेक होल्डर से बात की है । आप इसको शुरुआत में वॉलेंटरी रखिए । हमने इसको वॉलेंटरी रखा । इसमें कानूनी पूर्वाग्रह के बिना मध्यस्थता से हटने की भी स्वतंत्रता है । अगर कोई बीच में कहे कि मैं तो इससे हटना चाहता हूं तो वह हट सकता है । इसमें बातचीत में सीधा जुड़ाव है । मध्यस्थ तो मीडिएटर होगा, लेकिन एक तटस्थ तृतीय पक्ष भी होगा । जो मध्यस्थ होगा, उसके लिए नियुक्तियां होंगी, उसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे और उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे । मीडिएटर लीगल बैकग्राउंड का होगा, सामाजिक आदमी भी होगा, कई तरह के लोग मीडिएटर होंगे । यह एक बहुत बड़ा उपक्रम बनने वाला है । उसके बाद, इससे लागत कम करने और न्यायिक मुकदमों को कम करने में भी मदद मिलेगी । यह विधेयक मध्यस्थता को एक समयबद्ध प्रक्रिया में बनाता है । सुभाष बहेड़िया जी 180-180 के बारे में जिक्र कर रहे थे । हमने इसको 120 और 60 कर दिया है । हमने समय और कम कर दिया है । हमने कहा कि आप कम समय में निपटारा कीजिए । इससे धन की भी बचत होगी । यह हमारे बिल में भी कहा गया है । विवाद समाधान कार्रवाई के दौरान और उसके बाद पार्टियों द्वारा अपने रिश्तों को भी जारी रखने की संभावना बढ़ जाती है । आज भाई-भाई लड़ रहे हैं और पति-पत्नी लड़ रहे हैं । पति-पत्नी, जिसका संजय सेठ जी जिक्र कर रहे थे कि जो महत्वपूर्ण समय होता है, वह लड़ाई में बीत जाता है । इस बिल के आने के बाद अब वह समय नहीं बीतेगा । कई बार फर्जी केस भी गड़बड़ होता है ।

सास, ससुर, ननद, पता नहीं किस-किस को डाल देते हैं, वे सब परेशान हो जाते हैं । इससे बहुत आसानी हो जाएगी और जो परिवार के झगड़े हैं, उसमें भी बहुत तेजी से कमी आएगी । इस मीडिएशन बिल के बाद अब परिवार नहीं टूटेंगे । इसमें हमने एक जोड़ने वाला प्रक्रम दे दिया है कि परिवार जुड़ें, टूटे नहीं । यह बिल इसी के लिए है ।

कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? ये पक्ष क्या कह रहा है? हम इसकी गोपनीयता बनाकर रखेंगे । किसी दूसरे को नहीं बताएंगे । गोपनीयता का भी विषय रखा है । हमने ऑनलाइन मीडिएशन की भी व्यवस्था दी है । अगर कोई कहता है कि मैं तो मीडिएटर के पास नहीं जाता । आप अपना प्रपोजल मीडिएटर के पास दीजिए । वह उधर से भी प्रपोजल मांगेगा, तो उस पक्ष से प्रपोजल आएगा । ऐसा नहीं है कि ये खाली परिवार और जमीन के झगड़ों को ही सुलझाएगा । परिवार के जमीन के झगड़ों को तो सुलझाएगा ही, यदि पति-पत्नी के मध्य कोई विवाद है, तो यह मीडिएशन बिल उनमें भी मध्यस्थता करेगा । अगर कोई कॉमर्शियल विवाद भी है, तो मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाएगा ।

यदि मैं कोई रॉ मैटेरियल बनाता हूं । मैंने किसी को माल सप्लाई किया और आपने एक-दो बार पेमेंट दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद पेमेंट नहीं दिया, तो वह कॉमर्शियल कोर्ट जाएगा । आपके पास भी ऐसे बहुत से मामले आते होंगे कि मैंने रॉ मैटेरियल सप्लाई किया और ये आदमी मेरा पैसा ही नहीं दे रहा है । मीडिएशन बिल के माध्यम से इन मामलों का निस्तारण होगा । मैं समझता हूं कि यह मीडिएशन बिल बहुत ही अच्छा मूव है ।?(व्यवधान) बहुत बढ़िया है । मैं एक लाइन और बोलूंगा । आपने सिंगापुर कन्वेंशन का जिक्र किया है । अभी 11 देशों ने ही अभी इस कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया है । वे बहुत ही स्मॉल इकोनॉमी वाले लोग हैं । हम इसमें बहुत आगे हैं । आप चिंता मत करिए । जब रूल्स बनाएंगे, तो हम आपके सुझावों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे ।

सभापति महोदय, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है । इस अमृतकाल में मीडिएशन बिल को पास कराइए, भारत चिंतन-मंथन के माध्यम से विकसित राष्ट्र बनेगा और इस सदन के द्वारा जो अमृत निकलेगा, वह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार साबित होगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: Shri P.P. Chaudhary, do you have any clarification to seek?

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Please seek just one clarification.

*m08श्री पी. पी. चौधरी: माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने मीडिएशन लॉ लाकर एक बहुत अच्छा कदम उठाया है । इससे कोर्ट में लिटिगेशन कम होगा । मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ताकि आप इसको मज़बूत कर सकें । एक तो लिटिगेशन के बाद मीडिएशन है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन को मजबूत करिए, जिससे 75 प्रतिशत केसेज़ कोर्ट में आएंगे ही नहीं । मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप इसको और भी ज्यादा मज़बूत करिए ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: पी. पी. चौधरी साहब, इसमें ऑलरेडी प्रावधान है ।

*m09HON. CHAIRPERSON: The question is:

?That the Bill to promote and facilitate mediation, especially institutional mediation, for resolution of disputes, commercial or otherwise, enforce mediated settlement agreements, provide for a body for registration of mediators, to encourage community mediation and to make online mediation as acceptable and cost effective process and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.?

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

?That clauses 2 to 65 stand part of the Bill.?

The motion was adopted.

Clauses 2 to 65 were added to the Bill.

First to Tenth Schedules were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

*m10श्री अर्जुन राम मेघवाल: सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, तो हम उसमें सुधार करके राज्य सभा में ले आए थे ।

Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed.?

HON. CHAIRPERSON: The question is:

?That the Bill be passed.?

The motion was adopted.

_____

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 20 ? the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2003. The hon. Minister.

17.40 hrs